सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 03/2017 अपील
पंजीयन दिनांक–27–03–2017
आदेश दिनांक –30– 01– 2018

श्री रमेश कुमावत पिता श्री हेमराज कुमावत, निवासी आर.के.सर्कल, भुवाणा, उदयपुर (राज.)

––अपीलान्ट

बनाम

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

01–श्री मुंकेश गौड –– अनुपस्थित वकील अपीलाल्ट
02–श्री नरपत सिंह चुण्डावत –– अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

यह अपील अन्तर्गत धारा 91–ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 विरुद्व तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 44/2017 निर्णय दिनांक 28.02.2017.

निर्णय

दिनांक 30–01–2018

यह अपील राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 91–ए के अन्तर्गत तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 44/2017 निर्णय दिनांक 28.02.2017 के विरुद्व पेश की गई है।

इस प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि न्यास के जोन अमीन श्री बुद्धाराम राजपूत ने दिनांक 30.01.2017 को पंचनामा प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्रम भुवाणा के खसरा नम्बर 1645 रकबा 0.0445 जो राजस्व रेकार्ड में नारायण पिता हेमराज कुमावत के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर बिना रुपान्तरण एवं निर्माण स्वीकृति के मकान एवं बिना भू–उपयोग परिवर्तन करवाये दुकान

का निर्माण करा रखा है। तहसीलदार नगर विकास उदयपुर ने अवैध निर्माण को इस निर्णय से सात दिवस की अवधि में स्वतः हटा ले अन्यथा बाद मयाद गुजरने के कभी भी इसे ध्वस्त किया जावेगा या न्यास स्वामित्व में लिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी स्वयं की होगी अथवा अप्रार्थी उक्त निर्माण को नियमानुसार निर्धारित प्रारुप में आवेदन कर नियमित करा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिनांक 28.02.2017 को पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अपीलान्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। निर्णय से पूर्व उपस्थित होने पर लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों. की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आदिनांक तक लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई। प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रमेश कुमावत पिता श्री हेमराज कुमावत, निवासी आर.के. सर्कल, भुवाणा उदयपुर कि पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्रम भुवाणा के खसरा नं. 1645 रकबा 0.0450 हैक्टेयर जो राजस्व रेकार्ड में नारायण पिता हेमराज कुमावत के नाम दर्ज है। जिस पर 70 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूर्व से ही अपीलार्थी के पूर्वज कृषि कार्य करते और उस पर बने आवास पर निवास करते आये है, जिस समय उक्त कृषि आराजीयात पर मकान बनाया गया उस समय नगर विकास प्रन्यास अस्तित्व में नहीं था। अपीलार्थी द्वारा कोई गलती होती भी है तब भी नगर विकास प्रन्यास एक नगर सुधार अधिनियम 1959 में नियमन एवं कम्पाउंड सम्बन्धी प्रावधान किये गये है, जिनका लाभ अपीलार्थी को आवश्यक रुप से दिया जा सकता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यास के जोन अमीन श्री बुद्धाराम राजपूत ने दिनांक 30.01.2017 को पंचनामा प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्रम भुवाणा के खसरा नम्बर 1645 रकबा 0.0445 जो राजस्व रेकार्ड में नारायण पिता हेमराज कुमावत के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर बिना रुपान्तरण एवं निर्माण स्वीकृति के मकान एवं बिना भू–उपयोग परिवर्तन करवाये दुकान का निर्माण करा रखा है। अपीलान्ट का उक्त निर्माण न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91 ए के तहत अवैध होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यास के जोन अमीन श्री बुद्धाराम राजपूत ने दिनांक 30.01.2017 को पंचनामा प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्रम भुवाणा के खसरा नम्बर 1645 रकबा 0.0445 जो राजस्व रेकार्ड में नारायण पिता हेमराज कुमावत के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर बिना रुपान्तरण एवं निर्माण स्वीकृति के मकान एवं बिना भू–उपयोग परिवर्तन करवाये दुकान का निर्माण करा रखा है। इसके साथ ही रोड़ सीमा में भी अतिक्रमण कर रखा है। जिससे न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91 ए के तहत अवैध होने से तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि किया जानाा प्रतित नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर